माओवादियों के मददगारों को नहीं मिली जमानत

हाई कोर्ट ने कहा- राष्ट्रविरोधी अपराधों पर सख्ती है जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आइटीबीपी जवान की हत्या और मतदान दल पर माओवादी हमले के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों की जमानत याचिका को गंभीर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हुए खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और जमानत पर विचार करते समय सख्त रुख अपनाना आवश्यक है।

17 नवंबर 2023 को गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से लौट रही सुरक्षा टीम पर आईईडी ब्लास्ट कर हमला किया गया था। इस हमले में आइटीबीपी के कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार बलिदान हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद इस घटना में शामिल तीन आरोपित भूपेन्द्र नेताम उर्फ भूपेन्द्र ध्रुव, मोहनलाल यादव उर्फ मोहन यादव, लखनलाल यादव उर्फ लाखन यादव को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 307, 120-बी, 121, 121ए, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 20, 38, 39 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

हाई कोर्ट ने यह कहा : हाई कोर्ट ने विशेष न्यायालय (एनआइए) रायपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट में उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपित माओवादी गतिविधियों में संलिप्त थे और उन्होंने प्रतिबंधित संगठन सीपीआइ (माओवादी) के लिए डेटोनेटर, तार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। कोर्ट ने कहा कि, मामले में संरक्षित गवाहों के बयान, बरामदगी और आरोपितों की षड्यंत्र बैठक में भागीदारी का पर्याप्त प्रमाण है।

केवल लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) जैसे विशेष कानूनों में दर्ज मामलों में केवल लंबी हिरासत या सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयां जमानत का आधार नहीं बन सकतीं। यह भी कहा गया कि, जब प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आरोपित ने यूएपीए के तहत अपराध किया है, तो जमानत नहीं दी जा सकती।

निचली अदालत को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश : हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (एनआइए) रायपुर द्वारा जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए यह भी निर्देश दिया कि, निचली अदालत आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह के भीतर, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं हो तो मामले का त्वरित निपटारा करे।

युक्तियुक्तकरण विवाद में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर एक अहम याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता शिक्षिका सरोज सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें नियमों के खिलाफ अतिशेष घोषित कर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि नव बहाल शिक्षिका अनुपमा सारौगी को उसी विद्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। सरोज सिंह वर्ष 2018 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अचोली (जिला बेमेतरा) में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत हैं। जबकि अनुपमा सारौगी की बहाली वर्ष 2025 में हुई है। इसके बावजूद उन्हें बनाए रखा गया और सरोज सिंह को हटाया गया।